

म. प्र. ऊर्जा विकास निगम लि.
“ऊर्जा भवन” लिंक रोड क्र. 2, शिवाजी नगर भोपाल



निविदा क्रमांक—ऊविनि/भवन रखरखाव/2023/2327

भोपाल दिनांक 14.09.2023

फोटोकॉपी मशीन आऊटसोर्सिंग पर लगाने हेतु निविदा आमंत्रण सूचना

निगम मुख्यालय भोपाल में एक फोटोकॉपी मशीन आऊटसोर्सिंग पर लगाये जाने हेतु सीलबंद निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा दस्तावेज दिनांक 25.09.2023 तक कार्यालयीन समय में प्राप्त किये जा सकते हैं। फोटोकॉपी मशीन लगाने हेतु फर्म/दुकान का पंजीयन अनिवार्य है। निविदा प्रपत्र एवं विस्तृत शर्तें निगम की वेब साईट www.mprenewable.nic.in पर देखी जा सकती हैं।

प्रबंध संचालक, म.प्र. ऊर्जा विकास निगम लि., भोपाल को, बिना कारण बताये किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत या पूर्णतः अमान्य करने का अधिकार होगा।

अतिरिक्त कार्यपालन यंत्री

1. निविदा तिथि:-

निविदा प्रपत्र विक्रय की अंतिम तिथि	25.09.2023 सांय 5 बजे तक
निविदा जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	26.09.2023 दोपहर 3 बजे तक
निविदा खोलने की तिथि एवं समय	26.09.2023 दोपहर 3.30 बजे
निविदा जमा करने एवं खोलने का स्थान	ऊर्जा भवन, शिवाजी नगर, भोपाल

निविदा दस्तावेज कार्यालयीन समय में दिनांक 25.09.2023 तक रूपये 500/- (रूपये पाँच सौ मात्र) (वापसी योग्य नहीं) का नगद भुगतान जमा कर प्राप्त किये जा सकते हैं।

2. धरोहर राशि

- 2.1 निविदाकर्ता इकाई को धरोहर राशि के रूप में रू. 12,000/- (रूपये बारह हजार मात्र) का डिमाण्ड ड्राफ्ट जो म.प्र. ऊर्जा विकास निगम लि., भोपाल के नाम से देय होगा, जिसे निविदा के साथ संलग्न करना होगा। पूर्ण रूप से भरे गये निविदा प्रपत्रों के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा, अन्यथा निविदा नहीं खोली जावेगी।
- 2.2 म.प्र. ऊर्जा विकास निगम लि० में पहले से जमा धरोहर राशि अथवा अन्य कोई राशि अथवा किसी देयक के विरुद्ध राशि को इस निविदा की धरोहर राशि के रूप में मान्य करने के किसी भी अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जावेगा।
- 2.3 निविदाकर्ता इकाई को उनके द्वारा दिये गये ऑफर को वापिस लेने अथवा उसमें परिवर्तन करने या शर्तों तथा दशाओं में परिवर्तन करने का अधिकार नहीं होगा। यदि न्यूनतम दर पाई जाने वाली निविदाकर्ता इकाई निगम के साथ अनुबंध नहीं करती है, तो उसकी धरोहर राशि रूपये 12,000/- मात्र जब्त कर ली जावेगी।
- 2.4 धरोहर राशि पर किसी भी दशा में कोई ब्याज देय नहीं होगा।

3. निविदाकर्ता इकाई की पात्रताएँ (Eligibility)

- 3.1 निविदाकर्ता इकाई का स्थाई आयकर लेखा संख्या (PAN) होना अनिवार्य है, जो संलग्न नहीं करने पर निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
- 3.2 निविदाकर्ता इकाई का भोपाल में भी स्थानीय कार्यालय/फर्म/दुकान होना अनिवार्य है, जिसके दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य है।
- 3.3 निविदाकर्ता इकाई का जी.एस.टी. नम्बर होना अनिवार्य है। (जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति संलग्न करे)
- 3.4 निविदाकर्ता को फोटो कापी कार्य का विगत तीन वर्ष का टर्नओवर जो रू. 20.00 लाख (बीस लाख) से कम न हो इस बाबत चाटर्ड एकाउन्टेन्ट (सी.ए.) का प्रमाण पत्र एवं बैलेंस शीट की प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
- 3.5 पेन कार्ड की प्रति एवं विगत तीन वर्ष (वर्ष 2019-20, 2020-21, 2022-23) के आयकर रिटर्न की प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

- 3.6 निविदाकर्ता इकाई पूर्व में या वर्तमान में किसी भी शासकीय/निगम/मण्डल द्वारा ब्लैकलिस्ट न किया गया हो और न ही इकाई का किसी भी विभाग में कोई न्यायालीन विवाद रहा हो। इस बाबत घोषणा पत्र देना अनिवार्य है।
- 3.7 निविदाकर्ता इकाई को न्यूनतम तीन विभिन्न शासकीय/निगम/मण्डल में फोटोकॉपी कार्य करने का विगत 03 वर्षों का कार्यानुभव होना अनिवार्य है। इस हेतु उक्त संस्था के उच्च अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

4. निविदा का तैयार किया जाना तथा जमा किया जाना:-

- 4.1 निविदाकर्ता इकाई लिफाफा क्रमांक-1 में, चेकलिस्ट अनुसार दर्शाई अर्हताओं से संबंधित दस्तावेजों की फोटोकॉपी जिसके ऊपर इकाई की सील तथा अधिकृत हस्ताक्षर हों रखें। अनुसूची 1, 2 तथा रुपये 12,000/- मात्र का डिमाण्ड ड्राफ्ट भी लिफाफा क्रमांक 1 में रखें। इसे तकनीकी बिड के रूप में मान्य किया जावेगा।
- 4.2 दरों को अनुसूची-3 में भरा जावे, जिसे लिफाफा क्रमांक-2 में रखा जावे, इसे प्राइस बिड के रूप में मान्य किया जावेगा।
- 4.3 उक्त दोनों लिफाफों पर म.प्र. ऊर्जा विकास निगम लि0 का पता अंकित हो तथा दोनो लिफाफे, 3 नम्बर लिफाफे में रखकर सील बंद किया जावे, तत्पश्चात् टेण्डर बाक्स में निर्धारित तिथि व समय तक डाला जावे।
- 4.4 निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर निविदाकर्ता इकाई के मालिक अथवा इकाई के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षर किये जावे तथा सील लगाई जाये।
- 4.5 सर्व प्रथम निविदाकर्ताओं की अर्हताओं को खोला जायेगा तथा अर्हता सही पाई जाने पर प्राइसबिड केवल उन्ही निविदाकर्ताओं की खोली जायेगी, जो अर्हता में सफल होंगे।

5. निविदा स्वीकार करने का अधिकार :

प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लि0 को यह अधिकार होगा, कि वह बिना कारण बताये किसी भी निविदा को अस्वीकार अथवा आंशिक रूप से स्वीकार या अस्वीकार कर सकेंगे। प्रबंध संचालक म0प्र0 ऊर्जा विकास निगम का निर्णय अंतिम होगा तथा सभी निविदाकर्ताओं पर बंधनकारी होगा।

6. फोटोकॉपी मशीन आऊट सोर्सिंग पर लगाने हेतु अनुबंध की शर्तें :

- 6.1 निविदा में प्राप्त योग्य प्रस्ताव वाली इकाइयों से निगम दो वर्ष की अवधि के लिए अनुबंध निष्पादित करेगा। दो वर्ष के अनुबंध की अवधि के पश्चात् निविदाकर्ता इकाई एवं म.प्र. ऊर्जा विकास निगम लि. की आपसी सहमति से अधिकतम एक-एक वर्ष कर दो वर्ष अनुबंध अतिरिक्त बढ़ाया जा सकेगा। निर्धारित अवधि के पूर्व अनुबंध को किसी भी समय प्रबंध संचालक म.प्र. ऊर्जा विकास निगम लि. द्वारा निरस्त किया जा सकता है।

- 6.2 इकाई द्वारा प्रत्येक माह की 10 तारीख तक पिछले माह का देयक संबंधित अधिकारी से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत किया जाएगा। इस देयक का नियमानुसार भुगतान टी. डी. एस, जी.एस.टी.टी.डी.एस. काटकर किया जावेगा। यदि इकाई द्वारा संतोषजनक सर्विस नहीं दी जाती है तो देयक से आनुपातिक राशि काट ली जावेगी। निगम द्वारा संबंधित कक्षों द्वारा जारी पर्ची/रसीद या इकाई द्वारा मेंटन किये जा रहे रजिस्टर पर कक्ष कर्मचारी के हस्ताक्षर के आधार पर भुगतान प्रमाणित किया जावेगा।
- 6.3 निविदा में दी गयी दरें पूर्ण अनुबंधित अवधि के लिए मान्य होंगी एवं इस दौरान किसी अन्य पार्ट्स/टैक्स इत्यादि में बढ़ोतरी होने पर निगम द्वारा दरों में कोई बढ़ोतरी मान्य नहीं की जायेगी।
- 6.4 फर्म/दुकान का पंजीयन अनिवार्य है।
- 6.5 निविदाकर्ता इकाई द्वारा फोटोकॉपी हेतु देय दर पर निगम द्वारा जी.एस.टी. का भुगतान अतिरिक्त किया जायेगा। इकाई द्वारा प्रस्तुत दर में अन्य समस्त कर, जिसमें रिपेयर्स पार्ट का रिप्लेसमेंट, टोनर, पेपर्स, तथा समस्त टैक्स, ऑपरेटर का पारिश्रमिक, स्थापना व्यय आदि शामिल हों, सहित दी जावें। किसी भी स्थिति में निगम द्वारा कोई अतिरिक्त भुगतान इकाई को नहीं किया जावेगा।
- 6.6 फोटोकॉपी मशीन ऑपरेटर की व्यवस्था एवं वेतन भत्ता व अन्य खर्चे निविदाकर्ता इकाई द्वारा भुगतान किये जावेंगे।
- 6.7 मशीन ऑपरेटर कार्यालयीन समय में प्रतिदिन कार्य के लिए उपलब्ध होगा। विशेष परिस्थिति में, कार्यालयीन अवकाश अथवा अतिरिक्त कार्य अवधि होने पर कोई अतिरिक्त भुगतान मान्य नहीं होगा। मशीन ऑपरेटर के अवकाश अथवा अनुपस्थिति की दशा में निविदाकर्ता इकाई को वैकल्पिक व्यवस्था करना होगी।
- 6.8 निगम द्वारा फोटोकॉपी मशीन को स्थापित करने हेतु केवल स्थान एवं बिजली की व्यवस्था उपलब्ध कराई जायेगी। इसके अतिरिक्त, समस्त प्रकार का दायित्व निविदाकर्ता इकाई का रहेगा।
- 6.9 फोटोकॉपी मशीन पूर्णतः कार्यशील अवस्था में रखने का दायित्व निविदाकर्ता इकाई का होगा। अनुबंधित अवधि में मशीन का कोई भी पार्ट खराब होने पर उसको तत्काल रिपेयर्स अथवा रिप्लेस निविदाकर्ता इकाई को करना होगा। मशीन खराब होने की दशा में निविदाकर्ता इकाई को तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था करना होगी। यदि निविदाकर्ता इकाई 24 घंटे में भी कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं करती है, तो इकाई के देयक से राशि रु. 250/- प्रतिदिन, जो अधिकतम रु 5000/- (एक बार में) होगी, इकाई के देयक से दण्ड स्वरूप काटी जावेगी।
- 6.10 सफल निविदाकर्ता इकाई को निगम में कार्यादेश जारी होने के 15 दिवस के अन्दर फोटोकॉपी मशीन स्थापित करना अनिवार्य होगी अन्यथा धरोहर राशि जप्त कर ली जायेगी। स्थापित की जाने वाली मशीन दिनांक 01 जनवरी 2022 या उसके पश्चात् क्रय होनी चाहिए।

7. अन्य शर्तें :

- 7.1 निविदाकर्ता इकाई के मशीन ऑपरेटर को फोटो कॉपियर के ऑपरेशन का ज्ञान होना आवश्यक है।
- 7.2 मशीन ऑपरेटर का व्यवहार ठीक न होने पर निविदाकर्ता इकाई द्वारा उसे बदला जायेगा।
- 7.3 इकाई द्वारा अनुबंध का किसी भी प्रकार उल्लंघन करने से निगम को हुई क्षति की राशि की वसूली इकाई से की जावेगी। यह वसूली उसके द्वारा प्रस्तुत देयकों, धरोहर राशि अथवा इकाई को देय अन्य किसी राशि में से की जावेगी।
- 7.4 म.प्र. ऊर्जा विकास निगम लि० के अधिकारियों/कर्मचारियों के करीबी रिश्तेदार/संबंधी इस निविदा में भाग नहीं ले सकते।
- 7.5 अनुबंधित इकाई जिसे निगम द्वारा कार्य दिया गया है, किसी अन्य इकाई/व्यक्ति को कार्य नहीं दे सकती।
- 7.6 निविदाकर्ता इकाई द्वारा निविदा प्रपत्रों में अंकित किया गया पता ही अनुबंध एवं आरबिट्रेशन आदि समस्त उद्देश्यों हेतु मान्य होगा, जब तक कि इकाई द्वारा विधिवत कोई नया पता म.प्र. ऊर्जा विकास निगम, ऊर्जा भवन, शिवाजी नगर, भोपाल को पंजीकृत पावती डाक से सूचित नहीं किया जाता है।
- 7.7 निविदा अहस्तांतरणीय है।
- 7.8 सफल निविदाकर्ता इकाई को निगम के साथ संलग्न प्रारूप अनुसार अनुबंध निष्पादित करना होगा

8. आर्बीट्रेशन :

अनुबंध के क्रियान्वयन में विवाद की स्थिति में प्रबंध संचालक, म.प्र. ऊर्जा विकास निगम लि० आर्बीट्रेटर होंगे तथा उनका निर्णय अंतिम तथा बंधनकारी होगा।

9. न्यायाधिक क्षेत्र :

भोपाल जिला न्यायालय, न्यायिक क्षेत्र होगा।

10. वैधानिक कटौतियाँ :

इकाई के देयक में से नियमानुसार, टी०डी०एस० व अन्य वैधानिक कटौतियाँ निगम द्वारा की जाकर शुद्ध राशि का भुगतान इकाई को एकाउंट पेई चेक से इकाई के पक्ष में किया जावेगा।

अभिवचन

1. मैं/हम यह अभिवचन करते हैं कि मैंने/हमने निविदा की शर्तों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लिया है तथा निविदा में उल्लेखित कार्य को समझ लिया है।
2. मैं/हम यह अभिवचन करते हैं कि हमारा कोई निकट संबंधी म0प्र0 ऊर्जा विकास निगम में कार्यरत नहीं है।
3. हम यह भी अभिवचन करते हैं कि इस निविदा में दी गई जानकारियाँ सत्य एवं सही हैं तथा इसके लिए मैं/हम जिम्मेदार हैं।
4. हम यह भी अभिवचन करते हैं कि हमारी संस्था किसी भी शासकीय/निगम/मण्डल द्वारा ब्लैकलिस्ट नहीं है एवं ना ही उक्त संस्थाओं में कोई न्यायालीन विवाद लंबित है।

दिनांक / /

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर
मय नाम एवं सील

निविदा हेतु पात्र इकाईयों की चेकलिस्ट

विवरण	हाँ	हाँ	वांछित दस्तावेज
इकाई के पेन नंबर की प्रति			
इकाई का स्थानीय कार्यालय फर्म/ दुकान भोपाल में होने का प्रमाण पत्र			
धरोहर राशि (रूपये 12,000/- का डी.डी. जी.एस.टी. के पंजीयन की प्रति			
03 संस्थाओं में फोटोकॉपी कार्य करने का, विगत 03 वर्षों का कार्यानुभव प्रमाण पत्र			
विगत तीन वर्ष (वर्ष 2019-20, 2020-21, 2022-23) के आयकर रिटर्न की प्रति			

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर
एवं सील

निविदाकर्ता के संबंध में जानकारी
फोटोकॉपी मशीन आऊट सोर्सिंग पर लगाये जाने बाबत निविदा

1. निविदाकर्ता का नाम:
2. निविदाकर्ता का पता (दूरभाष एवं मोबाईल नं. सहित).....
.....
.....
3. निविदाकर्ता इकाई का प्रकार :
(जैसे-व्यक्ति या पार्टनरशिप फर्म या कंपनी या शासकीय विभाग या सार्वजनिक उपक्रम)
4. निविदाकर्ता का पेन (PAN) क्रमांक :
(फोटोकॉपी संलग्न करें)।
5. निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर तथा अनुसूचियों पर हस्ताक्षर है, हाँ / नहीं।
6. निविदा के संबंध में अन्य कोई सूचना जो निविदाकर्ता इकाई के मत में महत्वपूर्ण हो
.....
7. निविदा कर्ता इकाई का जी.एस.टी. नं.....

दिनांक / /

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर
एवं सील

फोटोकॉपी मशीन आऊट सोर्सिंग पर लगाने हेतु दर पत्रक

इकाई का नाम :

इकाई का पेन नंबर :

क्र०	फोटोकॉपी मशीन का नाम व क्रय करने की तिथि	दर प्रति कॉपी
1		

उपरोक्त दरों में निम्न व्यय सम्मिलित है।

1. टोनर डेवलपर
2. रिपेयर्स, सर्विसिंग, पार्ट का रिप्लेसमेंट, ड्रम आदि
3. फोटोकॉपी में लगने वाले पेपर्स।
4. फोटोकॉपी कार्य करने हेतु ऑपरेटर का पारिश्रमिक (कलेक्टर दरोंनुसार)
5. समस्त कर व्यय एवं अन्य दायित्व मशीन की स्थापना सहित परन्तु जी.एस.टी. निगम द्वारा अतिरिक्त देय होगा।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर
मय नाम एवं सील